# Crime with Social Consent

# "Witch Killing"

ASHA

Association for Social and Human Awareness

# About Asha

# आशा के बारे में।

## Objectives

- To end the practice of witchcraft in the state.
- Social and Economic Rehabilitation of Victims and Exorcists.

## Introduction

Asha, founded in 2000, is a non-governmental organization and registered under "Indian Trusts Act 1882".

## Attitude

To build a society that is free from evils like witchcraft. People in the society should live life completely free from the fear of being given the title of witch. The society should be aware against the so-called lethal forces and should be committed to end this curse practice.

## Intervention

Our Intervention is on issues of Child Rights and Education, Women Empowerment, Health Nutrition, Sanitation, VAW
and DV, witch killing, human trafficking, unsafe migration etc.

# Asha Activities

- In year 1994-95 made documentary films ‘Akhir Kab Tak’ (Until how long) and ‘kya Mohiya ki ma dayan hai?’ (Is Mohiya’s Mother is a witch?).
- Asha wrote many articles on the practice of witchcraft, Published books and with its literature spread awareness through newspapers.
- Asha started awareness campaign with strategies.
- Students did drama, survey, wall-writing, and problem discussion with villagers of affected areas.
- With the continuous efforts of Asha, in the year 1999 in the month of October Witch Customs Retribution Act was passed.

# Witch Killing□

## A social Evil

- The contemporary practice of witch killing involves violence and beliefs that have led to the torture and murder of the alleged witch. Witch killing is a phenomenon that distinguishes women as a witch who is capable of harming people with her supernatural powers.

- The tribal community believes that the witch holds immense power, the witch is evil in nature, capable of causing harm in any way.

- A witch in particular is accused of eating a human with only the power of spells and magic.

- This belief is that if the witch wishes she can cast an evil spell that can affect the fertility of the crop, soil, or it can affect a particular part of the person she wants.

## डायन हत्या में जिलावार पुलिस की कार्रवाई

(2020 दिसंबर तक केआंकड़े)

| जिला | कांड | चार्जशीट | अंतिम प्रतिवेदन | लंबित केस |
|---|---|---|---|---|
| रांची | 18 | 18 | 00 | 00 |
| लोहरदगा | 03 | 03 | 00 | 00 |
| गुमला | 30 | 28 | 02 | 01 |
| सिमडेगा | 18 | 16 | 02 | 00 |
| खूंटी | 28 | 21 | 07 | 00 |
| चाईबासा | 37 | 23 | 00 | 13 |
| सरायकेला | 08 | 08 | 00 | 00 |
| जमशेदपुर | 06 | 06 | 00 | 00 |
| पलामू | 05 | 03 | 02 | 00 |
| गढ़वा | 09 | 06 | 01 | 02 |
| लातेहार | 02 | 02 | 00 | 00 |
| हजारीबाग | 00 | 00 | 00 | 00 |
| कोडरमा | 00 | 00 | 00 | 00 |
| गिरिडीह | 03 | 00 | 00 | 03 |
| चतरा | 07 | 07 | 00 | 00 |
| रामगढ़ | 00 | 00 | 00 | 00 |
| बोकारो | 01 | 00 | 00 | 01 |
| धनबाद | 00 | 00 | 00 | 00 |
| दुमका | 06 | 06 | 00 | 00 |
| गोड्डा | 00 | 00 | 00 | 00 |
| साहेबगंज | 00 | 00 | 00 | 00 |
| पाकुड़ | 04 | 03 | 00 | 01 |
| देवघर | 00 | 00 | 00 | 00 |
| जामताड़ा | 00 | 00 | 00 | 00 |

## डायन अधिनियम में 2015 से 2019 तक पुलिस की कार्रवाई

| जिला | कांड | चार्जशीट | अंतिम प्रतिवेदन | लंबित केस |
|---|---|---|---|---|
| रांची | 76 | 54 | 15 | 07 |
| लोहरदगा | 72 | 57 | 07 | 08 |
| गुमला | 94 | 66 | 17 | 11 |
| सिमडेगा | 26 | 17 | 02 | 07 |
| खूंटी | 36 | 29 | 05 | 02 |
| चाईबांसा | 55 | 39 | 07 | 07 |
| सरायकेला | 28 | 17 | 10 | 01 |
| जमशेदपुर | 39 | 29 | 05 | 05 |
| पलामू | 349 | 199 | 122 | 28 |
| गढ़वा | 1121 | 281 | 738 | 102 |
| लातेहार | 88 | 51 | 28 | 09 |
| हजारीबाग | 317 | 128 | 100 | 89 |
| कोडरमा | 60 | 36 | 11 | 13 |
| गिरिडीह | 342 | 193 | 89 | 60 |
| चतरा | 230 | 182 | 31 | 17 |
| रामगढ़ | 46 | 34 | 09 | 03 |
| बोकारो | 110 | 64 | 27 | 19 |
| धनबाद | 43 | 33 | 09 | 01 |
| दुमका | 35 | 24 | 03 | 08 |
| गोड्डा | 117 | 93 | 49 | 45 |
| साहेबगंज | 99 | 44 | 21 | 34 |
| पाकुड़ | 46 | 18 | 23 | 03 |
| देवघर | 275 | 125 | 88 | 62 |
| जामताड़ा | 148 | 86 | 57 | 05 |

# Description of Problem:

- From 1991 to 2016, 1554 women were murdered in the name of witches.
- Between year 2015-2016, 54 women were murdered and 524 cases were registered.
- 3400 cases were registered in last 5 years.
- From 2011 to 2016 on an average 40 murders took place per year.

Murders are committed in the name of witches and occultism, according to Jharkhand police,

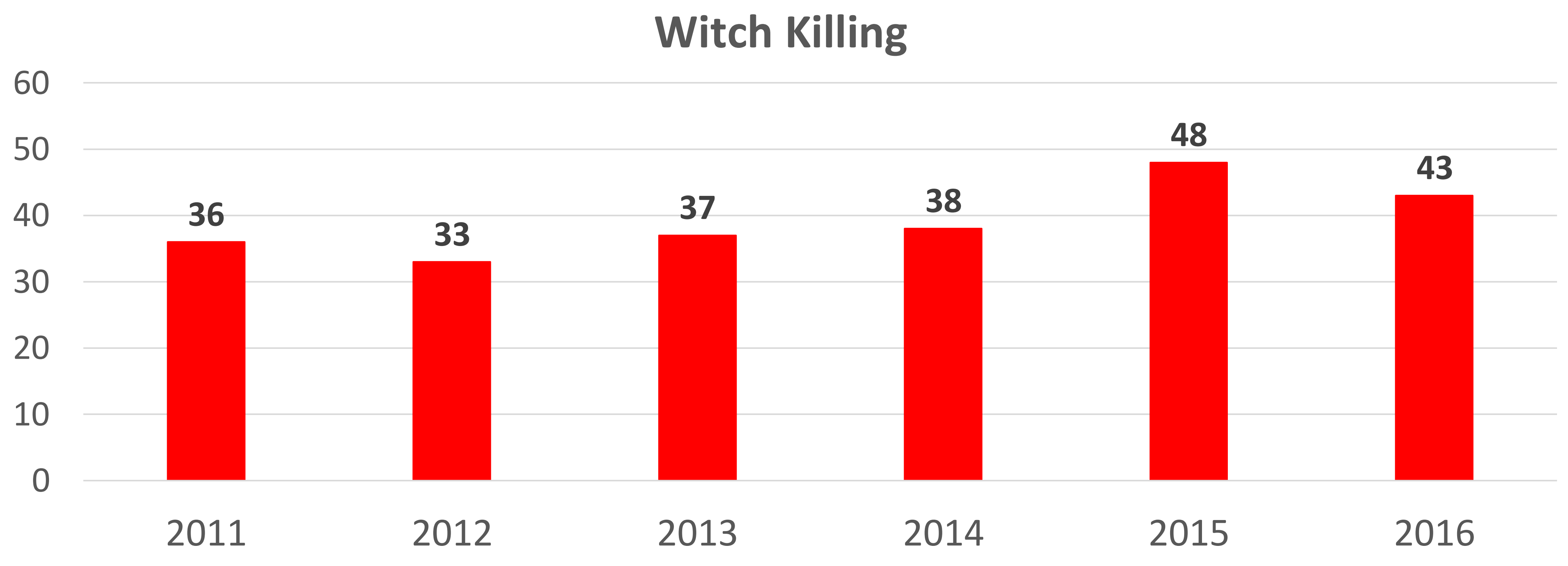

## Who is the victim of witch murder?

A woman who:

- Is old
- Is a widow
- Is a single women
- Looks different

## Role of Ojhas (witch finder)

- The witch doctor means Ojha known by many names like: mati, shokhga, guni, etc.
- They are considered as key persons of society and people go to them for any problem.
- It is believed that they can control or neutralize the evil forces of witches.
- The witch finders trace the witch with their secret knowledge.
- Their decision is irrefutable and the woman or man who has been labeled a witch is not given a chance to say anything in their explanation.
- As soon as she is identified as a witch, the people of the village start harassing the identified person.

# Witch a superstition

People believe that:

- A woman who can kill any person in different ways.
- Those who have supernatural powers.
- She is knowledgeable about Tantra-Mantras.
- Supernatural power is obtained from evil forces through the witch method.
- She eats human heart.
- Can inflict wounds on the body by shooting invisible arrows and can kill.
- Can attack people invisibly
- The curse comes to fruition
- Feeds poison

## Tortures

- Putting human faeces in her mouth.
- Forcing her to march in village with shaved head.
- Imposition of fine on the alleged woman.
- Deliberately killing the woman to get rid of her.
- Beating the woman for harassing and humiliating her.
- Killing her family members.
- To confiscate her land and movable or immovable property.
- Not showing or giving a new-born baby in her lap.
- Forbid a new bride to be seen by that woman.
- Do not invite that woman in auspicious work or festival.
- Throwing that woman out of the village.
- Totally boycotting that woman from social festivals

# Effect

- Infusion of superstition since childhood.
- Leaving life to fate.
- Loss of energy of life.
- Losing power to fight.
- Development hampered due to malpractices.

# Preventive Measures

- Education and Awareness
- Share in property to tribal women
- Provision of appropriate health services
- Training of Ojha as Health Worker
- Dissemination of science
- Improvement in economic condition
- Amendment in Witch Prevention Act 2001
- Publicity through media
- Legal ban on witch finders
- Anganwadi workers training

# Legal Aspect

## Witch Practices Prohibition Act 2001

In the 17th meeting of its cabinet, the Government of Jharkhand adopted the Prohibition of Witch Practices Act, 1999 on 3 July 2001.

**Section 3 Accusation of Being a Witch:** Imprisonment for 3 months or fine of 1000/- or both

**Section 4 Injuries from torture:** Imprisonment up to 6 months or fine up to 2000/- or both.

**Section 5 Abetment in the identification of a witch:** Shall be punished with imprisonment of 3 months or with fine up to 1000/- or with both.

**Section 6 Treatment of Witch:** Shall be punished with imprisonment of 1 year, or with fine of Rs.2000/- or with both.

**All offenses are cognizable and non-bailable.**

# Strategies

- Sensitization training of officials.
- Strengthening of information system.
- Training of Anganwadi workers.
- Strengthening of police surveillance system.
- Justice system
- IEC Intervention
- Strengthening of health services.
- Awakening among the new generation and adolescents.
- Rehabilitation.

# डायन-बिसाही
# कलंक का टीका

डायन-बिसाही के नाम पर झारखंड के गांवों की औरतें अब भी अत्याचार की शिकार हैं. राज्य में इसके खिलाफ कानून है और सरकार से लेकर अदालत तक इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं. फिर भी किसी औरत को डायन बता कर उसकी हत्या कर देना यहां आम घटना है. झारखंडी समाज के लिए यह कलंक है. अमेरिका की जुलेखा और कोलकाता की उर्मि इसे मिटाने का संकल्प लेकर झारखंड आयी हैं. उनकी टीम ने रांची के नामकुम प्रखंड की लालखटंगा पंचायत को अपना केंद्र बनाया है. यहां डायन के नाम पर अत्याचार झेल चुकी 40 औरतों में आत्मविश्वास भरने और गांव के लोगों के मानस से इस अंधविश्वास को खत्म करने में उनकी टीम लगी हुई है. यह काम हमारी ग्राम पंचायतों और गांव-समाज के लिए भी इतना ही अहम हैं. बस, ठोस संकल्प, सीधा संवाद और सक्रियता होनी चाहिए.



ऐसे बना दी जाती हैं डायन

# अशिक्षा व अंधविश्वास की बलि चढ़ती महिलाएं

विश्वास और मिथ्या पर आधारित डायन जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए जन-जागरण बहुत जरूरी है. जागरूकता के अभाव में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को निशाना बनाया जाता है. डायन प्रथा निषेध अधिनियम, 2001 को राज्य में लागू किया गया. कानून बनने के बाद भी राज्य में डायन-बिसाही प्रथा के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने, गांव से निकालने और महिलाओं की हत्या करने जैसे घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लगा है. खासतौर पर वैसी महिलाओं को ज्यादा निशाना बनाया जाता है, जो अशिक्षित हों, जिनकी संपत्ति अधिक हो, जो गांवों में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का विरोध करती हो. इस अंक में कई पीड़ित महिलाओं को जिक्र कर रहे हैं, जो इस सामाजिक कुरीतियों को झेली है. कई महिला अपने परिवार सहित गांव छोड़ने को मजबूर हुई तो कइयों की जान तक चली गयी. कुछ ऐसी भी पीड़ित महिलाओं का चरचा कर रहे हैं, जो प्रताड़ित होकर भी सामाजिक संगठनों से जुड़ कर ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया और इस काम में सामाजिक संस्था आशा यानी एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन एवरनेंस के सदस्यों ने भी अहम भूमिका निभायी. पीड़ितों की शिकायत पर गांव जाकर ग्रामीणों को समझाना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन-जागरण चला कर इस अंधविश्वास से सभी को दूर रखने में हरसंभव सहयोग किया. इसी का नतीजा है कि रांची जिले के नामकुम प्रखंड स्थित लालखटंगा पंचायत को डायन प्रथा से मुक्त पंचायत घोषित किया गया.

## अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देने पर सावित्री को मिली सजा

**केस स्टडी - 1**

खूंटी जिले के राजा कुजला गांव निवासी सावित्री देवी को अंधविश्वास को बढ़ावा देने में साथ नहीं देने पर डायन करार देकर काफी प्रताड़ति किया गया. पति समेत अन्य लोगों की मौत का जिम्मेवार ठहराया गया. गांववालों ने सावित्री को गांव से बाहर निकालने को ठानी. ओझा-गुनी के बहकावे में आकर गांववालों ने सावित्री के साथ काफी बुरा बर्ताव किया. घटना का कारण सावित्री का स्वावलंबन होना और ग्रामीणों को ओझा-गुनी के चक्कर में नहीं पड़ने संबंधी बातें बताना माना जाता है.

### क्या था मामला

सावित्री का गांव राजा कुजला में काफी जमीन है. इसका उपयोग खेती-बारी में होता है. खेती-बारी अच्छी होने से आमदनी भी अच्छी होती थी, जिससे सावित्री की आर्थिक स्थिति अच्छी थी. यही बात गांव के कुछ लोगों को खटकता था. कुछ साल पहले सावित्री के पति की मौत बीमारी से हो गयी थी, लेकिन परिवार के ही कुछ लोग और ग्रामीण अपने पति पर ही डायन करने का गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया. परिवार के कुछ लोगों का आरोप था कि अगर समय रहते सावित्री अपने पति को ओझा-गुनी को दिखाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन सावित्री का साफ कहना था कि बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं कोई ओझा-गुनी नहीं. सावित्री की यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी. सावित्री के दो लड़कें हैं. पति की मौत के बाद सारी जिम्मेवारी सावित्री के कंधों पर आ गयी. सावित्री ने दोनों लड़कों को पढ़ाया और दोनों की शादी भी कर दी गयी. साल 2012 में सावित्री के भैसुर अचानक खेत में हल चलाते हुए ही बेहोश होकर गिर गये. आनन-फानन में घर लाकर लोग डॉक्टर की जगह ओझा को बुलाने चले गये, जबकि सावित्री ने डॉक्टर के पास ले जाने की रट लगाते रही, लेकिन किसी ने सावित्री की बात नहीं सुनी और ऐसी स्थिति में उसके भैसुर की मौत हो गयी. मौत होते ही घर में मातम छा गया. ओझा ने डायन के कारण मौत की बात कह कर आग में घी का काम कर दिया. इसके बाद तो सावित्री के सामने मानो आफत टूट पड़ी. जहां ग्रामीणों ने सावित्री को हर तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, वहीं गांव से बाहर निकालने की बातें भी होने लगी. बार-बार डायन का आरोप लगने से आहत सावित्री ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया.

गांव : राजा कुजला
पंचायत : राजा कुजला
प्रखंड : मुरहू
जिला : खूंटी

## जलन की भावना से अपनों ने ही दिया डायन करार

**केस स्टडी - 2**

रांची जिले के हटिया स्थित हरिजन बस्ती निवासी पाचो तिर्की अपने ही परिवार के लोगों के जलन का शिकार हो गयी. खुद की गोतनी ने ही पाचो को डायन करार देकर प्रताड़ित करना शुरू किया. अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देने के बात पर लोग पाचो से लड़ जाते थे. पाचो के मना करने के बावजूद लोग ओझा-गुनी की बातों को ही तवज्जो देते थे.

### क्या था मामला

50 वर्षीय पाचो तिर्की अपने पति जलेश्वर तिर्की और दो बेटे व तीन बेटियों के साथ हरिजन बस्ती में रहती है. पति के नौकरी करने के कारण पाचो की आर्थिक स्थिति अच्छी है. पाचो अपने बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के प्रति भी काफी गंभीर रहती है. उसके परिवार में दो गोतनी हैं, जो खुद सरकारी नौकरी करती है, लेकिन पाचो के घर की स्थिति देख उसकी गोतनी में जलन पहले से ही काफी थी. इधर के दिनों में यह जलन और बढ़ गयी. पाचो अपने भतीजे-भतीजियों को भी अपने बच्चों की ही तरह प्यार करती थी लेकिन उसकी गोतनी इसके ठीक उलट थी. एक दिन पाचो का एक लड़का अपनी बड़ी चाची के पास जाकर कुछ खाने को मांगा, लेकिन उसकी बड़ी मां ने उसे डांटकर भगा दिया. बच्चा रोता-रोता अपनी मां के पास आया और पूरी कहानी बताया. पाचो ने अपनी बड़ी गोतनी से इसका कारण पूछा, तो वह भड़क उठी और अपशब्द कहने लगी. इसके बाद से तो पाचो की दोनों गोतनियां हर बात पर ताना देते हुए डायन तक करार दिया. इसके बाद कभी कोई बीमार होता, तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाकर ओझा-गुनी के पास ले जाते और जब ठीक नहीं होता, तो उसे डायन कर देने की बात पूरे इलाके में फैला दी गयी, जिसके कारण लोग भी इससे दूर रहने लगे. पाचो कहती है कि बेवजह लोगों का ताना सुन कर थक चुकी हूं. पाचो इसका मुख्य कारण लोगों में अंधविश्वास और जागरूकता में कमी होना बताती है.

स्थान : हटिया
वार्ड संख्या : 54
प्रखंड : जगरनाथपुर
जिला : रांची

शेष अगले पेज पर...

## अंधविश्वास की जड़ में सामाजिक मान्यताएं

पूनम टोप्पो
सामाजिक कार्यकर्ता

आदिवासी समाज में कई धार्मिक धारणाएं हैं, जो डायन-बिसाही जैसे सामाजिक कुरीतियों को प्रभावित करता है. झारखंड में तकरीबन 80 फीसदी लोग गांवों में निवास करते हैं. लोगों को बचपन से ही कई आस्था व धारणाओं से जोड़ते हुए मन में डर उत्पन्न कराया जाता है, जैसे- पीपल का पेड़, मासना स्थल देवीमंडप, दराहापटरा (गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर जहां उसे दफनाया जाता है) पर जाने से डर पैदा किया जाता है. इस तरह बच्चे समेत पूरा परिवार अंधविश्वास के साथ जीवन जीते हैं. कर्मकांड के सहारे अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है. प्रकृति पूजा पर आधारित बड़पहारी पूजा, जो खानदानी पूजा है, जो 12 साल में एक बार होता है. 12 साल बीतने के बाद ही लोग इस पूजा करते हैं.

इस पूजा में जानवरों की बलि दी जाती है और पूरे गांव में प्रसाद बांटा जाता है. गांवों में अधिक-से-अधिक प्रसाद बांटने के पीछे धारणा है कि जितना अधिक प्रसाद का वितरण होगा, उससे खानदान के सभी लोग स्वस्थ्य रहेंगे. इस पूजा को नहीं करने या देर से करने के उपरांत लोगों के खानदान में अगर किसी की बीमारी के बावजूद मौत हो जाती है, तो लोग इसे बड़पहारी पूजा के नहीं करने का कोपभाजन मानते हैं. गांव में बीमारी के कारण अगर किसी की मौत हो जाये, तो भी लोग उस परिवार को कोसते हुए बड़पहारी पूजा करने के लिए विवश करते हैं.

डायन बिसाही की नजर न लगे, इसके लिए छोटे-छोटे बच्चों की कमर में सिक्के बांधे जाते हैं, जो अंधविश्वास को दर्शाता है.

### मृत्यु के बाद भी अंधविश्वास

जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे मसान घाट ले जाने से पहले तीन बार घर के दरवाजे के ऊपरी भाग को छुआया जाता है और घर में राख छिंटा जाता है. घर से मसान घाट ले जाने के क्रम में धान, चावल और सिक्के फेंकने की परंपरा है. जहां फेंके गये धान व चावल को लांघना अशुभ माना जाता है, वहीं फेंके गये सिक्के को छोटे-छोटे बच्चों के कमर में बांधा जाता है. ऐसा करने से डायन-बिसाही की नजर नहीं लगने की बातें की जाती है. इतना ही नहीं मृत व्यक्ति को दफनाने के बाद छोटे-छोटे बच्चों को उस गड्ढे को लांधना पड़ता है. इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि ऐसा करने से बच्चों को बुरे सपने नहीं आते हैं. वहीं मसान घाट से घर वापस आने पर सबसे पहले लोग अपने शरीर पर हल्दी पानी छिटकतें हैं. साथ ही घर में राख छिटा जाता है. अगर राख में किसी का पंजा या हाथ-पैर का निशान दिखायी देता है, तो उक्त व्यक्ति की मौत डायन-बिसाही के कारण होने की बात बताते हैं. इसके दो-तीन दिन बाद ओझा के पास जाने से पहले एक नये सूप में अरवा चावल डालकर घर के दरवाजे के ऊपर तीन बार छुआते हुए उस चावल को ओझा के पास ले जाया जाता है. उस चावल को देख ओझा उस व्यक्ति की मौत डायन-बिसाही के कारण होने की बात ग्रामीणों को कहते हैं. फिर क्या, गांव आने पर डायन-बिसाही के नाम पर महिलाओं और उसके परिजनों के साथ मारपीट तक की जाती है. गांव वाले पीड़ित महिला के पीछे तब तक पड़े रहते हैं, जब तक पीड़ित महिला की मौत ना हो जाये या फिर वह गांव छोड़ कर ना चली जाये.

गांव में अगर बीमारी के कारण किसी की मौत हो जाती है, तब भी डायन-बिसाही के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है.

बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास गहरी पैठ जमाये हुए है. लोगों के मन से अंधविश्वास को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है. इस चुनौती को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है. जन जागरण और जागरूकता के अभाव में इस तरह की सामाजिक कुरीतियां आज भी जारी है.



## अपने पैरों पर खड़े होने की मिली सजा दबंगों ने किया दुष्कर्म, की आत्महत्या

**केस स्टडी - 3**

बरटोली चौनपुर गांव की सुषमा टोपनो के माता-पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेवारी उस पर आ गयी. भाई-बहनों को शिक्षित करने के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े होने को ठानी. काफी मेहनत कर अपने खेतों में फसल उगाती, जिससे आमदनी भी अच्छी होती थी. सुषमा की आर्थिक स्थिति को देख गांववालों में जलन होने लगी. इसी बीच गांव में एक महिला की मौत की जिम्मेदारी उस पर लगायी गयी. गांववालों ने जबरन डायन कबूलने का प्रयास किया. कबूल नहीं करने पर चार-पांच लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इससे आहत होकर सुषमा ने आत्महत्या कर ली.

गांव : बरटोली
पंचायत : चैनपुर
प्रखंड : कर्रा
जिला : खूंटी

### क्या था मामला

बरटोली चौनपुर की सुषमा टोपनो जब 23 साल की थी, तभी उसके माता-पिता का देहांत हो गया था. माता-पिता के देहांत के बाद सुषमा पर अपने दोनों भाई-बहन की देखरेख की जिम्मेवारी आ गयी. सुषमा ने दोनों भाई-बहनों को अच्छी शिक्षा देने को ठानी. सुषमा अपने खेतों पर काफी मेहनत किया करती थी, जिससे फसल भी अच्छी होती थी और अपने फसलों को अच्छे दामों पर भी बेचती थी. आमदनी अच्छी होने से आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी. सुषमा ने अपनी कमायी से एक ट्रैक्टर खरीदी और इसका उपयोग अपने खेतों में करती थी. सुषमा के लगातार बढ़ते देख गांव के कुछ लोगों को जलन होने लगी. इनलोगों ने गांवों में यह प्रचार करना शुरू किया कि सुषमा के शरीर में उसकी मां का वास है, इस कारण वह इतना काम करती है. इसी बीच जनवरी 2015 में गांव की एक महिला की मौत हो गयी. गांव के कुछ लोगों ने उस महिला की मौत का आरोप सुषमा पर लगा दिया.

आनन-फानन में गांव में बैठक बुलाकर सुषमा को जबरन डायन होने की बात कबूलने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उसके इनकार करने से नाराज कुछ लोगों ने उसी रात उसके घर में घुसकर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद सुषमा हर जगह न्याय की गुहार लगायी, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला, इससे क्षुब्ध होकर सुषमा ने आत्महत्या कर लिया.

## अपने ही सगे-संबंधियों ने बनाया निशाना

**केस स्टडी - 5**

चलागी गांव निवासी मरियम बोदरा के पति अभिराम पूर्ति बीमारी के कारण अक्सर बीमार रहते थे. बीमारी के कारण ही उसकी मौत हो गयी. मरियम के बड़े बेटे की मौत हो गयी थी. आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने और घर में दो-दो लोगों की मौत की जिम्मेवारी गांववालों ने मरियम पर डाला. इसके बाद से तो मरियम को प्रताड़ित करने का सिलसिला ही चल पड़ा. किसी तरह मरियम आशा संस्था आयी और पूरी आपबीती बतायी. आशा संस्था के सदस्यों ने चलागी गांव जाकर लोगों को कई स्तर से समझाया.

गांव : चलागी
प्रखंड : कर्रा
जिला : खूंटी

### क्या था मामला

चलागी गांव में मरियम बोदरा अपने पति अभिराम पूर्ति और तीन बच्चों के साथ रहती थी. बीमारी के कारण पति हमेशा बीमार रहता था, वहीं बड़े लड़के की मौत हो गयी थी. पिता की बीमारी के कारण घर की पूरी जिम्मेवारी दूसरे लड़के पर थी, जबकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण बेटी ने भी पढ़ाई छोड़ दी. इसी बीच मरियम के पति की मौत हो गयी. पति की मौत के बाद उसके सगे-संबंधियों ने ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. मरियम को डायन कह कर प्रताड़ित किया जाता, तो उसके बेटा-बेटी के साथ मारपीट की जाती. मरियम गांववालों को लाख समझाती, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. गांववालों ने बैठक की, मंदिर में ले जाकर कसम दिलवायी, लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस के पास नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गयी. हर दिन प्रताड़ित होने से परेशान मरियम अपने बच्चों के साथ किसी तरह आशा संस्था आयी. यहां आकर पूरी घटनाक्रम बतायी. आशा के सदस्यों द्वारा गांववालों को समझाया गया, तब जाकर मामला कुछ हद तक शांत हुआ है. हालांकि मरियम अभी भी किसी अनहोनी को लेकर डरी-सहमी रहती है.

## ओझा-गुनी का विरोध करना पड़ा महंगा गांव छोड़ने को हुई मजबूर

**केस स्टडी - 4**

पाटेद गांव की सलगी मुंडाइन अपने ससुराल में ही काफी प्रताड़ित हुई. प्रताड़ित करने में जहां ससुराल वालों की अहम भूमिका रही, वहीं ओझा-गुनी का विरोध करने पर गांववालों का कोपभाजन बनना पड़ा. गांव में किसी की मौत हो या किसी की शादी टूट जाए, सभी स्थिति में जिम्मेदारी सलगी को ही ठहराया जाता. सलगी समेत उसके परिजनों के साथ हमेशा मारपीट करना गांव के कुछ लोगों की नियति बन गयी थी.

थक-हार कर सलगी के पति बिरसा मुंडा ने गांव छोड़ना ही मुनासिब समझा, तब जाकर सलगी की जान बची. अब सलगी दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर रही है.

गांव : पाटेद
पोस्ट : तेतरी
प्रखंड : नामकुम
जिला : रांची

### क्या था मामला

सलगी मुंडाइन अपने पति बिरसा मुंडा और चार बच्चों के साथ पाटेद गांव में रहती थी. शादी के कुछ समय बाद सलगी की गोतनी को बच्चा होना था. बच्चा होने पर दाई ने उस बच्चे को सलगी के गोद में दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे की मौत हो गयी. इससे आहत उसके सास-ससुर कुछ दिन बाद ओझा के पास गये, तो ओझा ने घर में डायन रहने की बात बतायी. घर आते ही सास सलगी पर टूट पड़ी और काफी प्रताड़ित करने लगी. सलगी को अपने परिजनों को ससुराल बुलाने को बाध्य किया और ससुराल से ले जाने की बात कही, लेकिन पति का साथ मिलने के कारण सलगी ससुराल में ही रहने लगी. इस दौरान पति को छोड़ हर कोई सलगी से बात करना छोड़ दिया. एक दिन अचानक पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत हो गयी. पड़ोसी ओझा के पास गये तो ओझा ने गांव में ही डायन रहने की बात कही. गुस्साये पड़ोसी ने जहां पहले सलगी के जानवरों को मार दिया, वहीं मायके से ससुराल वापस आने पर उसे काफी प्रताड़ित किया. इस घटना के कुछ साल बाद पड़ोस में एक लड़की की शादी ठीक हुई, लेकिन शादी के दिन दुल्हे की मौत हो गयी. मौत की खबर मिलते ही खुशियां मातम में बदल गयी और लड़की की मानसिक स्थिति भी खराब हो गयी थी. पड़ोसी ने अपनी बेटी को एक ओझा के पास ले गये, जहां ओझा ने गांव में डायन होने की बात कही. पड़ोसी ने सलगी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया और उसके साथ मारपीट की गयी. इस दौरान उसके पति को भी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. अब तो गांववाले इसका जोरदार विरोध करने लगे. गांव में बैठक कर पीड़िता को काफी लज्जित किया. पीड़िता हर आरोपों से इनकार कर रही थी, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था. इस प्रताड़ना से तंग आकर सलगी के पति बिरसा मुंडा अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़ कर दूसरे गांव में बस गये.

डायन-बिसाही के विरोध में प्रदर्शन करतीं सामाजिक कार्यकर्ता.

शेष अगले पेज पर ...

## अंधविश्वास से ही पनपती हैं सामाजिक कुरीतियां

अजय जायसवाल
सामाजिक कार्यकर्ता

झारखंड में डायन-बिसाही प्रथा एक सामाजिक अभिशाप बना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हावी है, जहां अशिक्षा और अज्ञानता का अंधकार छाया है. डायन-बिसाही का सबसे अधिक प्रभाव जनजातीय समाज में देखा जाता है, जहां लोग किसी के बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाए किसी ओझा-गुनी के पास ले जाना आवश्यक समझते हैं. उन्हें इस बात का भ्रम होता है कि जब तक बीमार व्यक्ति पर प्रेत की छाया रहेगी, तब तक उस पर किसी दवा का कोई असर नहीं होगा. राज्य की आबादी का लगभग 28 फीसदी हिस्सा गरीब और शोषित जनजातियों तथा 12 फीसदी अनुसूचित जातियों का है. इस प्रदेश में कुल साक्षरता दर 1951 में 13 फीसदी था, तो साल 2001 में 54 फीसदी तक जा पहुंची. इनमें दो-तिहाई पुरुषों की तुलना में केवल 40 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं. इसी अशिक्षा और अज्ञानता के माहौल में डायन-बिसाही की प्रथा जड़ जमा चुकी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच सालों में मात्र संताल परगना में ही डायन के नाम पर 600 से अधिक लोगों की बली चढ़ायी जा चुकी है. दूसरे जिलों में भी औसतन यही स्थिति है. सरकारी आंकड़ों में मात्र 560 मामलों की ही सूचना मिलती है. एक ओर हम देश और प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां के गांवों में डायन, भूत-प्रेत, ओझा-गुनी और शाखा आदि के प्रति कभी खत्म ना होने वाला अंधविश्वास कायम है. यह अंधविश्वास उनकी मानसिकता पर इस कदर हावी है कि वो इसके आगे कुछ और सोच नहीं सकते. डायन के नाम पर महिलाओं पर जानलेवा हमला करना और अन्य अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं.

**डायन कौन?** : लोगों में व्याप्त अंधविश्वास के अनुसार, डायन एक ऐसी महिला होती है, जो भिन्न-भिन्न तरीकों से लोगों को मार डालती है या मानो उन्हें खा जाती है. ऐसा समझा जाता है कि डायन कही जाने वाली महिला के पास अलौकिक शक्ति होती है, जो उसे प्रेत साधना से प्राप्त होती है.

**डायन की पहचान** : आमतौर पर किसी महिला को वैमनस्य या संपत्ति हड़पने के विचार से भी डायन कहा जाने लगता है, जिसकी पुष्टि ओझा कहे जाने वाले पुरुष या गुनिया कही जाने वाली महिलाएं द्वारा ही कराया जाता है. इसके बाद शुरू होता है अत्याचार का सिलसिला. किसी महिला को डायन बताने के पीछे जो कारण है, वो है- भूमि और संपत्ति विवाद, अंधविश्वास, अशिक्षा, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव, यौन शोषण, भूत-प्रेत, ओझा-गुनी पर विश्वास, आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना, व्यक्तिगत दुश्मनी, स्वास्थ्य सेवा का अभाव, जमीन में बेटी और पत्नी का हिस्सा ना होना तथा आदिवासी महिलाओं का जमीन पर अधिकार ना होना मुख्य माना गया है.

**आखिर क्या है उपाय** : डायन-बिसाही की समस्या को दूर करने के लिए आखिर क्या उपाय किया जा सकता है? इसका एक ही समाधान है लोगों के बीच जागरूकता फैलाना. समाज में गहरे जड़ जमा चुके इस अंधविश्वास एवं डायन हत्या के नाम पर महिलाओं पर किये जाने वाले प्रताड़ना को समाज से दूर करने के लिए सामाजिक कार्यक्रताओं व समूहों को आगे आना होगा.

डायन हत्या जैसी गंभीर समस्या एवं अंधविश्वास पर आधरित प्रश्न उठाने होंगे. यह अंधविश्वास, जो आदिवासी समाज में बचपन से घर कर जाता है, वह उनके विकास में सबसे बड़ा बाधक है. साथ ही संघर्ष करने की शक्ति क्षीण हो जाती है. हमारा मानना है कि व्यापक अभियान द्वारा आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास के कारण डायन हत्या को रोका जा सके. डायन की आड़ में किसी निर्दोष, बेसहारा, विधवा और कमजोर महिला की हत्या ना हो, तभी हम मानवीय समाज की कल्पना कर सकते हैं.